25/9/25

आदेशिका: उभय पक्ष सुने। उभय पक्ष का कथन मतभेद होने की
धारणा का पाया जाना और आशंका व्यक्त हुआ जो शान्ति
भंग किया हुआवस्था होने उभय-पक्षों आमदारगढ़ी पर
शान्ति बनाये रखने के बाबत पाबन्द करने की कार्यवाही बाबत
बन्धेज हेतु दिनांक 16/10/25 को धारा 107

कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आरपीओ जिला-अजमेर (राज)